पाँच रुपये FIVE RUPEES

दस रुपये TEN RUPEES

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० /2001 पुनरीक्षण

1- बलवंतसिंह
2- उदयभानसिंह } पुत्रगण द्वारिकासिंह

निवासीगण ग्राम सुन्दरपुरा तहसील लहार
जिला भिण्ड ------ आवेदकगण

विरुद्ध

1- नन्दनसिंह पुत्र बद्रीसिंह
2- भगवंतसिंह
3- देवेन्द्रसिंह } पुत्रगण तातीसिंह

निवासीगण ग्राम सुंदरपुरा तहसील लहार
जिला भिण्ड

4- रामबक्शसिंह पुत्र बद्रीसिंह
कान्स्टेबल थाना मौं जिला भिण्ड

5- रामकृपालसिंह पुत्र बद्रीसिंह सूबेदार मेजर
सिग्नल सेन्टर जबलपुर

6- शिवकृपालसिंह पुत्र बद्रीसिंह
निवासी गदाईपुरा मोहल्ला लज्जाराम की
धर्मशाला के पीछे ग्वालियर

7- महिला फूलकुंवर विधवा बद्रीसिंह
निवासी ग्राम सुंदरपुरा हाल गदाईपुरा
मोहल्ला लज्जाराम की धर्मशाला के पीछे
ग्वालियर ------- अनावेदकगण

अपर बन्दोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा
अपील प्र०क्र० 55197-98 में पारित आदेश दिनांक
17-5-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50
म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

---- 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1500–दो/01 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.16	यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 55/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 17–5–01 के विरूद्ध विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने बंदोवस्त की परिवर्तन सूची में उभय पक्षकारों की ग्राम सुंदरपुरा की भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बद्रीसिंह, द्वारिकासिंह, तांती सिंह के नाम अलग–2 अंकित करने के आदेश दिए । इससे असंतुष्ट होकर अनावेदक क्रमांक चंदनसिंह द्वारा बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 11–3–98 को आदेश पारित करते हुए सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश निरस्त कर पूर्व अभिलेख के अनुसार अमल करने हेतु निर्देश दिए गए। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर बंदोवस्त आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर बंदोवस्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने सभी पक्षकारों कीसहमति से अपना–अपना नामांतरण अपने हिस्से की भूमि पर कराया था जो पूर्णतः वैध कार्यवाही है । अनावेदक के पिता के स्वामित्व की भूमि	

R. 1500.[illegible]/04 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नं. 224 एवं 373 पर भी आवेदकगण का नामांतरण बद्रीसिंह की सहमति से बद्रीसिंह की उपस्थिति में किया गया था । बद्रीसिंह ने कोई अपील अपने जीवनकाल में नहीं की । अतः बद्रीसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं थी । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय ने आदेश सहमति से पारित कियाथा और सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है । अंत में यह कहा गया कि आवेदकगण के पिता के नाम पर जो भूमि आवेदकगण के हिस्से में थी उस पर बद्रीसिंह का नामांतरण इसी प्रकार की कार्यवाही में किया गया है, अतः अपीलीय न्यायालयों को सम्पूर्ण नामांतरण कार्यवाही पर विचार करना चाहिए था ।	
	4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।	
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विद्वान अपर बंदोवस्त आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया गया है कि परिवर्तन सूची बंदोवस्त में तीनों पक्षकार बद्रीसिंह, द्वारिकासिंह व तातीसिंह (जिनके नाम भूमि पृथक–पृथक अंकित की गई है) के हस्ताक्षर नहीं है । बद्रीसिंह का निशानी अंगूठा है किंतु उसका कोई ब्यान नहीं है । उन्होंने यह भी पाया है कि परिवर्तन के संबंध में कोई उद्‌घोषणा भी जारी नहीं की गई है । उक्त कारणों से उन्होंने सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को नियमानुकूल न मानते हुए, उक्त आदेश को निरस्त करने संबंधी बंदोवस्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1500–दो/01 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	